भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–02 / 2019–20

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

पार्थ सारथी पाल, पिता–राधा रमण पाल..... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

सुमिता अधिकारी, पति– श्री समीर अधिकारी एवं अन्य–01 .....विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
28.08.2020	यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्त्ता पार्थ सारथी पाल, पिता–राधा रमण पाल, निवासी ग्राम–उईनाला, थाना–बहरागोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने सुमिता अधिकारी, पति–समीर अधिकारी एवं अन्य 01, राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा) को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–997 / R27 / 2018–19 बहरागोड़ा में दिनांक–15 / 02 / 2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया हैं। अपील आवेदन पत्र के साथ Condonnation petition U/S-5 of Limititation Act., सत्यापित बिक्री केवाला की छायाप्रति तथा अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न किया गया है। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा से नामान्तरण संख्या–997 / R27 / 2018–19 बहरागोड़ा की मांग की गयी। निम्न न्यायालय का ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–997 / R27 / 2018–19 बहरागोड़ा प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा Limitation Act की धारा–5 के तहत दायर आवेदन पत्र पर सुनवाई के पश्चात इस वाद की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में अभिलेखबद्ध किया गया हैं। अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन द्वारा उल्लेखित किया गया हैं कि पार्थ सारथी पाल, पिता–राधा रमण पाल, द्वारा मौजा–कुलडीहा, थाना नं0–895, खाता नं0–24, प्लॉट नं0–109, रकवा–3.25 डी0, भूमि का नामान्तरण अंचल अधिकारी बहरागोड़ा द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या–997 / R27 / 2018–19 बहरागोड़ा किया गया है। आवेदित भूमि हाल सर्वे 1964 खतियान में नव कुमार पाल के नाम पर दर्ज है। खतियानी रैयत नव कुमार पाल उनके पुत्र राधारमण पाल द्वारा भूमि प्रदीप कुमार पाल के हिस्से में आई। जिन्होंने सुमिता अधिकारी, पति–श्री समीर अधिकारी	

को यह भूमि बिकी किया गया। वंटननामा के अनुसार उक्त भूमि (कुल रकवा 6.50 डी0) को दोनों भाईयों के बीच 3.25–3.25 डी0 के बराबर भाग में उत्तर–दक्षिण दिशा में इस प्रकार किया गया कि पूर्वी हिस्सा पार्थ सारथी पाल को एवं पश्चिमी हिस्सा प्रदीप कुमार पाल को मिला। भूमि का चौहदी उत्तरी भाग में मुख्य सड़क है, दक्षिण भाग में बिजेन्द्र नाथ पाल, पूर्व में सतेन्द्र नाथ पाल तथा पश्चिम में नाला है। यह बात प्रशांत पाल जो नव कुमार पाल के तिसरे प्रपौत्र है और पार्थ सारथी पाल एवं प्रदीप कुमार सगे भाई द्वारा शपथपत्र (अभिलेखबद्व) से भी प्रमाणित होती है। अपीलकर्त्ता का आरोप है उनके भाई प्रदीप कुमार पाल द्वारा भूमि के केवल उत्तरी भाग जो दोनों भाईयों कमशः प्रदीप कुमार पाल एवं पार्थ सारथी पाल के हिस्से की भूमि मुख्य सड़क के सम्पर्क में है को कुल रकवा 3.25 डी0 सुमिता अधिकारी, पति समीर अधिकारी को बिकी केवाला संख्या 1690, दिनांक 16.11.2018 द्वारा विकी कर दिया गया। आरोप यह भी लगाया गया है कि अंचल अधिकारी बहरागोड़ा द्वारा सही तरीके से सर्वसाधारण सूचना को तामिला किये बिना ही अपीलकर्ता को अंधेरे में रखकर नामान्तरण मुकदमा संख्या–997/R27/2018–19 बहरागोड़ा द्वारा नामान्तरित किया गया। जिससे अपीलकर्ता के पार्थ सारथी पाल के साथ अन्याय हुआ है। पार्थ सारथी पाल ने अपने लिखित आवेदन में कहा है कि इस वाद के निष्पादन में अंचल अधिकारी बहरागोड़ा द्वारा उचित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी गलत लोगों द्वारा गवाह लिया गया है। गवाहों का आधार संख्या एवं आधार कार्ड लिया जाना चाहिए था। यह नामांतरण वाद की जाँच का प्रमुख बिन्दु है। अपीलार्थी को अंधेरे में रखा गया एवं इस बिक्री की गयी भूमि का नामान्तरण किया गया है। अतः जाँचोंपरांत नोटिस में दर्ज हस्ताक्षर के गवाहों की जाँच करते हुए उचित आदेश पारित किया जाता है।

द्वितीय पक्षकार सुनिता अधिकारी ने अपनी लिखित जबाब में कहा है कि यह इस भूमि को इन्होंने वैध मालिक से खरीदा है एवं नामान्तरण कराकर दखल में है। प्रदीप कुमार पाल का ही स्वामित्व इस भूमि पर था और इस भूमि पर वे शांतिपूर्ण तरीके से दखलकार भी थे। खतियानी रैयत के सभी अंशधारकों द्वारा आपस में भूमि का बंटवरा किया गया था और ये सभी अलग–अलग दखलकार है। भूमि क्रय के बाद नामान्तरण हेतु इन्होंने अंचल कार्यालय बहरागोड़ा में आवेदन दिया गया और यदि इनमें इस वाद के प्रथम पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति थी तब इन्हें या इनके भाईयों अथवा भूमि के अन्य अंशधारकों को आपत्ति दर्ज करानी

चाहिए थी। इन्होंने द्वितीय पक्षकार को महिला जानकर जान बुझकर तंग किया जा रहा है। नामांतरण के पश्चात द्वितीय पक्ष भूमि पर दखलकार है। अतः भूमि का क्रय किसी भी प्रकार से अवैध अथवा गलत नहीं है, इसलिए नामान्तरण रद्ध किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा का नामान्तरण मुकदमा संख्या–997/R27/2018–19 बहरागोड़ा का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना तथा अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के पारित नामान्तरण मुकदमा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन किया। किसी भी स्तर पर उक्त प्रश्नगत भूमि के आपसी बंटवारे से संबंधित निबंधित साक्ष्य पार्थ सारथी पाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। बिकी केवाला निष्पादन के उपरांत श्री प्रशान्त पाल, पिता स्व0 राधा रमण पाल का शपथ पत्र अथवा सादे पन्ने पर इनके सम्पत्ति संबंधी बंटवारे से संबंधित कागजात प्रस्तुत किए गए हैं जिसकी वैधता नहीं है।

अतः नामान्तरण वाद संख्या–997/R27/2018–19 में अंचल अधिकारी बहरागोड़ा द्वारा पारित आदेश को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी श्री पार्थ सारथी पाल के नामान्तरण अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार मुल अभिलेख अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा को वापस भेजें।

विधि व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–28/08/2020 को पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

28/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

28/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।